रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13062026-273444
CG-MH-E-13062026-273444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 2026/ज्येष्ठ 23, 1948
No. 398] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 2026/JYAISTHA 23, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 13 जून, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2026

सं. फेमा. 395(4)/2026-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2026 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में, क्रम संख्या III और X पर दिए गए मौजूदा प्रावधानों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

नियमों की अनुसूची	भुगतान माध्यम एवं बिक्रीगत आय के विप्रेषण के संबंध में अनुदेश
III. अनुसूची III **(अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई)सहित भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश)**	**ए. भुगतान माध्यम** (1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए गए किसी प्रत्यावर्तनीय खाते में रखी गई निधियों में से किया जाएगा। (2) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए गए प्रत्यावर्तनीय रुपया खाता, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसका उपयोग विशेष रूप से इस अनुसूची के तहत अनुमत निवेश के लिए किया जाएगा। (3) एनआरआई/ओसीआई द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में रखे गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते या एनआरओ खाते में रखी गई निधियों में से विदेश से आवक विप्रेषण के रूप में किया जाएगा। **बी. बिक्रीगत आय का विप्रेषण** (1) बिक्रीगत आय को (लागू करों की कटौती के पश्चात) भारत के बाहर विप्रेषित किया जा सकता है या संबंधित व्यक्ति के प्रत्यावर्तनीय रुपये खाते में जमा किया जा सकता है। (2) म्यूचुअल फंड की यूनिटों की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) और एनआरआई/ओसीआई द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान को भारत के बाहर विप्रेषित किया जा सकता है या एनआरआई/ओसीआई निवेशक के विकल्प अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में रखे गए किसी भी खाते में जमा किया जा सकता है।
X. अनुसूची XI **(अनुज्ञेय धारक द्वारा भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों की अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर खरीद या अभिदान योजना)**	**ए. भुगतान का माध्यम** (1) अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों की खरीद/अभिदान के लिए प्रतिफल की राशि का भुगतान – (i) समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 के अनुसार धारित उक्त भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा खाते में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा; या (ii) बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से आवक प्रेषण के रूप अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में धारित की गई निधियों में से किया जाएगा। **स्पष्टीकरण:** अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों की खरीद/अभिदान से हुए आगम का विप्रेषण या तो भारत में स्थित किसी बैंक खाते में किया जाएगा या उस भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा खाते में जमा किया जाएगा जो समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 का पालन करते हुए धारित किया गया हो। **बी. बिक्रीगत आय का विप्रेषण** साधारण शेयरों की बिक्री आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है या उसे अनुज्ञेय धारक के ऐसे बैंक खाते में क्रेडिट कराया जा सकेगा जिनका रखरखाव विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार किया जा रहा हो।

3. मूल विनियमावली के विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमावली के विनियम 4 के उप-विनियमन (9) में मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"एलईसी (आईएफआई): नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति, जिसमें अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक शामिल हैं, द्वारा भारत के स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी लिखतों की खरीद/हस्तांतरण की रिपोर्टिंग फॉर्म एलईसी (आईएफआई) में भारतीय रिज़र्व बैंक को करेंगे।"

रोहित पी. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./167/2026-27]

फुट नोट:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में दिनांक 17.10.2019 के जी.एस.आर.सं.795(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत इसका संशोधन निम्नानुसार किया गया-

1. अधिसूचना सं.फेमा. 395 (1)/2020-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020 दिनांक 15 जून, 2020] भारत सरकार के सरकारी राजपत्र-असाधारण-भाग-III, खंड 4 में दिनांक 18.06.2020 के राजपत्र सं. सी.जी.-एम.एच.-अ. -19062020-220016 के माध्यम से प्रकाशित की गयी।
2. अधिसूचना सं.फेमा. 395 (2)/2024-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024 दिनांक 23 अप्रैल 2024] भारत सरकार के सरकारी राजपत्र-[असाधारण-भाग-III, खंड 4] में दिनांक 19.04.2024 के राजपत्र सं. सी.जी.-एम.एच.-अ. -23042024-253830 के माध्यम से प्रकाशित की गयी।
3. अधिसूचना सं.फेमा. 395(3)/2025-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 दिनांक 15 जनवरी 2025] भारत सरकार के सरकारी राजपत्र-[असाधारण-भाग-III, खंड 4] में दिनांक 15.01.2025 के राजपत्र सं. सी.जी.-एम.एच.-अ. -15012025-260259 के माध्यम से प्रकाशित की गयी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th June, 2026

Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2026

No. FEMA. 395(4)/2026-RB.— In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019 [Notification No. FEMA.395/2019-RB dated October 17, 2019] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations) namely:-

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2026.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 3.1, for the existing provision at Sl. No. III and X, the following shall be substituted, namely :

Schedule of the Rules	Instructions on Mode of payment and Remittance of sale proceeds
III. Schedule III **(Investments by an individual person resident outside India including Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) on repatriation basis)**	**A. Mode of Payment** (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in any repatriable deposit account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations,2016. (2) A repatriable rupee account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations,2016, shall be designated by an individual person resident outside India and the same shall be used exclusively for investments permitted under this Schedule. (3) Subscription to National Pension System by NRIs/OCIs shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in any repatriable foreign currency or rupee account or NRO account, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Remittance of sale proceeds** (1) The sale proceeds (net of taxes) of equity instruments may be remitted outside India or may be credited to designated rupee account of the person concerned. (2) The sale proceeds (net of taxes) of units of mutual funds and subscription to National Pension System by NRIs/OCIs may be remitted outside India or, may be credited to any accountmaintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016at the option of the NRI/OCI investor.
X. Schedule XI **(Purchase or Subscription of Equity Shares of Companies Incorporated in India on International Exchanges Scheme by Permissible Holder)**	**A. Mode of Payment** (1) The amount of consideration for purchase / subscription of equity shares of an Indian company listed on an International Exchange shall be paid, - (i) through banking channels to a foreign currency account of the Indian company held in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2015, as amended from time to time; or

	(ii) as inward remittance from abroad through banking channelsor out of funds held in any repatriable foreign currency or rupee account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 **Explanation:** The proceeds of purchase / subscription of equity shares of an Indian company listed on an International Exchange shall either be remitted to a bank account in India or deposited in a foreign currency account of the Indian company held in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2015, as amended from time to time. **B. Remittance of sale proceeds** The sale proceeds (net of taxes) of the equity shares may be remitted outside India or may be credited to the bank account of the permissible holder maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations

In sub-regulation (9) of Regulation 4 of the Principal Regulations, the existing provision shall be substituted by the following, namely:

"**LEC(Individual Foreign Investor - IFI):** The designated Authorised Dealer Category I banks shall report to the Reserve Bank in Form LEC (IFI) the purchase / transfer of equity instruments by an individual person resident outside India including Non-Resident Indians or Overseas Citizens of India on stock exchanges in India".

ROHIT P. DAS, Regional Director

[ADVT.-III/4/Exty./167/2026-27]

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India vide G.S.R.No.795(E) dated 17.10.2019 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended, vide:

1. Notification no. FEMA 395(1)/2020-RB [Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2020] dated June 15, 2020, published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-MH-E-19062020-220016 dated 18.06.2020.
2. Notification no. FEMA 395(2)/2024-RB [Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2024] dated April 19, 2024, published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-MH-E-23042024-253830 dated 23.04.2024.
3. Notification No. FEMA 395(3)/2025-RB [Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non- Debt Instruments) (Third Amendment) Regulations, 2025] dated January 15, 2025 published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-MH-E-15012025-260259 dated 15.01.2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA